(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1759-दो/2005 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 15-9-2005 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 536/2004-05 अपील

1- प्रेमशॅकर 2- हरीशॅकर पुत्र रेवतीरमन
3- रेवतीरमन पुत्र हरिवंशप्रसाद
4- गोमतीप्रसाद पुत्र हरीशंकर प्रसाद
सभी ग्राम बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- नारायण प्रसाद पुत्र भोला प्रसाद
2- राकेशमणि पुत्र स्व. हीरामणि
3- राजमली उर्फ रहस्यकली पत्नि स्व.हीरामणि
सभी ग्राम बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा
4- अन्नपूर्णा पत्नि प्रभाकर व्दारा श्रीरामलाल
निवासी ग्राम खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आई.पी..द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री जे.एस.गौड़)

आ दे श

(आज दिनांक 07-08 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 536/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-9-2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार हनुमना ने उभय पक्ष के बीच सामिलाती भूमि खाता क्रमांक 65 कुल किता 7 रकबा 6-31 एकड़, खाता क्रमांक 257 कुल किता 16 कुल रकबा 10.22 एकड़ तथा खाता क्रमांक 258 कुल किता 16 रकबा 9.60 एकड भूमि का प्रकरण क्रमांक 18 अ 27/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2004 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 22 अ-27/ 2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2005 से अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 536/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-9-2005 से अपील बेरूम्याद प्रस्तुत होने से निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 536/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-9-2005 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने दिनांक 16-3-2005 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन 16-6-2005 को दिया गया तथा इसी दिन आवेदकगण को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई। आवेदकगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16-6-2005 को प्राप्त होने के वाद दिनांक 4-7-2005 को अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की है तथा दिनांक 16-6-2005 से दिनांक 4-7-2005 का के विलम्ब का दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर निरस्त की है। यदि विचाराधीन निगरानी में आये तथ्यों अनुसार गुणदोष पर भी विचार किया जाय - अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश दिनांक 16-3-2005 में पृष्ट 3 पर इस प्रकार निष्कर्ष दिया गया हे :-

'' इस प्रकरण में पूर्व से सन 1976 में आपसी बटनवारा हो गया है तथा आपसी बटनवारा का जो लेख प्रस्तुत है उसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर बने हुये हैं तथा इसी आपसी बटनवारा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय व्दारा बटनवारा किया गया है ''।

बापूलाल विरूद्व मुन्नालाल 1988 रा.नि. 94 में माननीय उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि पूर्व में मौखिक विभाजन - तद्नुसार कब्जे की स्वीकृति - पुनः विभाजन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

तहसीलदार हनुमना ने पक्षकारों के बीच पूर्व में सहमति के आधार पर हुये विभाजन अनुसार प्रकरण कमांक 18 अ 27/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2004 से शासकीय अभिलेख में अमल का आदेश दिया है । सहमति के आधार पर हुये बटवारे के विरूद्व राजस्व न्यायालय में अपील नहीं चलाई जा सकता। यदि किसी पक्षकार को किसी भूमि विशेष पर स्वत्व चाहिए, उपचार केवल सिविल वाद है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 536/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-9-2005 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर